राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर, दिनांक 30.01.2019

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांकः संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2018/67 दिनांक 14.08.2018 के क्रम संख्या 66 के द्वारा डा. सपना बवेजा, चिकित्सा अधिकारी (नेत्र रोग) को नवनियुक्ति पर जिला चिकित्सालय, चुरू में पदस्थापित किया गया था। किन्तु चिकित्सक द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यग्रहण नहीं करने पर निदेशालय के आदेश दिनांक 18.09.2018 के द्वारा चिकित्सक के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध डा. बवेजा ने मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस. बी. सिविल रिट संख्या 23761/2018 दायर की। मा. न्यायालय ने उक्त रिट में दिनांक 29.10.2018 को अन्तरिम आदेश पारित कर डा. बवेजा की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया गया। मा. न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना में विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2019 के द्वारा डा. बवेजा का मा. न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट संख्या 23761/2018 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन निदेशालय के आदेश क्रमांकः संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2018/67 दिनांक 14.08.2018 के क्रम संख्या 66 में आंशिक संशोधन करते हुए डा. सपना बवेजा, चिकित्सा अधिकारी (नेत्र रोग) को जिला चिकित्सालय, चुरू के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरतगढ, श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

डा. बवेजा अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर सात दिवस में कार्यग्रहण कर इस विभाग एवं निदेशालय को अवगत करायेंगे।

निदेशालय के आदेश क्रमांकः संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2018/67 दिनांक 14.08.2018 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, चुरू
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव